महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला संचालन समिति,
उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 1760(1) / एफ0एम0यू0 / 2017–18 लखनऊ :: दिनांक 12 मई, 2017

विषयः– उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत विचाराधीन / स्वीकृत एवं अपलोड किये गये प्रकरणों हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

कृपया उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली–2015 एवं नियमावली के संदर्भ में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों / संशोधनों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। नियमावली के प्रावधानों एवं शासनादेशों से आप भली–भांति अवगत है कि नियमावली के संलग्नक–1 के अन्तर्गत जघन्य हिंसा के अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु जिला संचालन समिति ही स्वीकर्ता प्राधिकारी है। अतएव जिला संचालन समिति के स्तर से किसी भी स्वीकृति के प्रकरण में अभ्युक्ति के स्तम्भ में 'संस्तुति' लिखा जाना उचित नहीं है। कई प्रकरणों में यह देखा गया है कि जिला संचालन समिति द्वारा अभ्युक्ति के स्तम्भ में संस्तुति अंकित कर दी जाती है और जब कोष कार्यालय से पृच्छा की जाती है तो जिला परिवीक्षा अधिकारी / कार्यालय स्तर से संस्तुति काटकर या उस पर ओवर–राईटिंग कर स्वीकृति अंकित कर दी जाती है। इस प्रकार की कटिंग एवं ओवर–राईटिंग अन्य स्तम्भों की पृविष्टियों में भी दृष्टिगत हुयी है, जो न केवल अनियमित है अपितु इससे किसी भी कपट पूर्ण भुगतान की संभावना बनी रहती है। अतएव निम्नवत् महत्वपूर्ण निर्देशों से अवगत कराते हुए यह कहना है कि इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये :–

1– किसी भी दशा में स्वीकृत आलेख में कहीं भी फ्लूड लगाकर ओवर–राईटिंग अथवा ईरेजिंग नहीं की जायेगी।

2– यदि कटिंग किया जाना अपरिहार्य हो तो प्रत्येक कटिंग पर जिला संचालन समिति के प्रत्येक सदस्यों के अभिप्रमाणन सहित हस्ताक्षर होने चाहिए।

3– स्वीकृति आलेख के प्रारूप में स्तम्भ–9 में यह उल्लेख है कि प्रकरण नियमावली से आच्छादित है अथवा नहीं। यह देखा गया है कि अनेक स्वीकृति आदेशों में हाँ के लिए Yes व नहीं के लिए No टिक करने की कार्यवाही नहीं की जा रही है, जो कि अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।

4– जिला संचालन समिति द्वारा स्वीकृति आलेख के प्रारूप में स्तम्भ–8 में प्रायः आरोप पत्र की धाराओं एवं दिनांक का उल्लेख नहीं किया जाता है, जिसका भी अंकन किया जाना अनिवार्य है।

5– आई0पी0सी0 की धारा–304 बी के प्रकरणों में पूर्व से ही निर्देश हैं कि अवयस्क बच्चों की क्षतिपूर्ति का भुगतान जिलाधिकारी के संरक्षकत्व वाले संयुक्त बैंक खाते में ही किया जाना है। अनेक जनपदों द्वारा स्वीकृति आलेख के प्रारूप में स्तम्भ–11 के खाता धारक के विवरण में यह उल्लेख नहीं किया जाता है कि प्रश्नगत खाता संबंधित जिलाधिकारी के संरक्षकत्व में खोला गया संयुक्त खाता है। इस तथ्य का भी स्वीकृति आदेश में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाये।

6– उक्त पाँचों बिन्दुओं के अतिरिक्त दिनांक 21.04.2017 को सभी जिलाधिकारियों/अध्यक्ष, जिला संचालन समिति को इस आशय का अशासकीय पत्र पृथक–पृथक प्रेषित किया गया है कि उनके द्वारा शासनादेश संख्या 237/60–3–2016 दिनांक 01.03.2016 के आलोक में पूर्व में निरस्त किये गये प्रकरणों को पुनः गहनता से परीक्षण कर जिला संचालन समिति द्वारा निर्णय लिया जाये। इस प्रकार के प्रकरणों में यदि जिला संचालन समिति द्वारा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 01.03.2016 के आलोक में परीक्षणोंपरान्त क्षतिपूर्ति भुगतान स्वीकृत किया जाना औचित्य पूर्ण पाया जाता है तो स्वीकृति आलेख के प्रारूप में अभ्युक्ति संबंधी स्तम्भ–13 में मात्र निम्नवत अंकन किया जाये :–

"प्रकरण का परीक्षण नियमावली के प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या 237/60–3–2016 दिनांक 01.03.2016 के आलोक में किये जाने पर प्रकरण को क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु उपयुक्त पाया गया है और तदनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।"

कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन कराते हुए यथा शीघ्र सभी प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करायें जिससे निकट भविष्य में मा0 मंत्री जी, महिला कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली वीडियो कान्फ्रेसिंग में सभी प्रकरणों की वस्तु स्थिति स्पष्ट की जा सके।

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त पुलिस अधीक्षक, नोडल पुलिस अधिकारी, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त चिकित्सा अधिकारी, नोडल चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला संचालन समिति, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

12/5/17

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।